(11)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 08/2023

1. अमीन पुत्र श्री रसीद खां जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बशीरा पत्नी मोहम्मद मंसा पुत्र यासीन खां जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. जुल्फकार खोलायत पुत्र शाह मोहम्मद पुत्र कुतुब दीन जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——अपीलांट

बनाम

1. नायब तहसीलदार (राजस्व) डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जुल्फकार अली पुत्र ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. नूरा पत्नी ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. शुकरा पुत्री ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. जीकर अली पुत्र रसीद खां जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. अशरफ अली पुत्र रसीद खां जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. जावेद पुत्र रसीद खां जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. रेशमा पुत्री रसीद खां जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. हलीमा पत्नी रसीद खां जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ।
10. रानी पुत्री रसीद खां जाति मुसलमान निवासी डबलीराठान, तहसील व जिला हनुमानगढ ।

—रेस्पोडेंटान

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.06.2022 कार्यालय नायब तहसीलदार (भू०अ०) डबलीराठान जिसकी रूह से अपीलाण्ट द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की गई भूमि चक 8 एसटीजी 'बी'के पत्थर नंबर 80/278 (65) किला नंबर 5 व 6 कुल 0.506 है0 में से 1/2 हिस्सा भूमि का विरास्तन इतकाल रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज किया गया। बमुराद अपास्त किये जाने उक्त इन्तकाल आदेश व स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः—1. श्री भवानी सिंह निर्वाण अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री सोम प्रकाश अभिभाषक रेस्पो. सं. 02 ता 4।
3. श्री सुरेन्द्र कुमार सहारण अभिभाषक रेस्पो सं. 05 ता 10।
4. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

(12)

–:निर्णयः–

दिनांकः –08.05.2026

अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि चक 8 एस टी जी बी तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 80/278 मुरब्बा नंबर 65 किला नंबर 5 व 6 कुल 0.506 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 व 3 के पिता व अपीलाण्ट संख्या 2 के ससुर रसीद खां यासीन व शाह मोहम्मद ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.05.1966 को उक्त कृषि भूमि नूरभरी पत्नी अब्दुल गनी से खरीद की तथा अपीलाण्ट व उसके भाईयों के मध्य हुये बंटवारा में उक्त किला नंबर 5 अपीलाण्ट संख्या 01 के पिता के हिस्सा में आया जो वर्तमान में अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है। चक 8 एस टी जी 'बी' तहसील हनुमानगढ़ के पत्थर नंबर 80/278 मुरब्बा नंबर 65 के किला नंबर 5 व 6 की 0.506 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा नूरभरी पत्नी अब्दुल गनी का था। नूरभरी द्वारा अपने उक्त 1/2 हिस्सा कृषि भूमि को अपीलाण्ट संख्या 1 व 3 के पिता व अपीलाण्ट संख्या 2 के ससुर यासीन खां, शाह मोहम्मद रसीद खां को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 08.01.1973 को विक्रय कर दी तथा अपने कब्जा काश्त अनुसार किला नंबर 6 का कब्जा रसीद खां आदि को सौंप दिया। इस प्रकार उक्त किला नंबर 5 व 6 अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है तथा उक्त भूमि की गिरदावरी भी अपीलाण्ट संख्या 13 के पिता व अपीलाण्ट संख्या 2 के ससुर रसीद खा आदि के नाम से होती आ रही है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा नूरभरी पत्नी अब्दुलगनी के नाम दर्ज थी लेकिन नूरभरी के स्वर्गवास होने के पश्चात नूरभरी के 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि जरिये विरास्तन इतकाल दिनांक 01.06 2022 के रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज हो गई जबकि यह भूमि अपीलाण्ट के पिता व ससुर की जरिये बैयनामा खरीद शुदा है जो वर्तमान में अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है। नायब तहसीलदार डबलीराठान द्वारा कतई गलत व विधि विरुद्ध रूप से रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 के नाम विरास्तन इतकाल दर्ज किया है। इस कारण अपीलाण्ट अपीलाधीन इंतकाल आदेश से व्यथित पक्षकार है तथा अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट के हित सारवान व प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुये है, इस कारण अपीलाण्ट यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत कर रहे है जिसकी अनुमति हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत है। अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। उक्त वर्णित 0.506 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता व ससुर की जरिये बैयनामा खरीद शुदा है। नूरभरी के कब्जा काश्त में उक्त वर्णित 0.506 है० में से 1/2 हिस्सा कृषि भूमि थी, को नूरभरी द्वारा अपीलाण्ट के पिता व ससुर यासीन खां, शाह मोहम्मद, रसीद खां को विक्रय की जा चुकी है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आक्षेपित आदेश के जरिये विरास्तन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व इस तथ्य की कोई जांच नहीं की गई है। इस कारण भी उक्त आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त 0.506 है० कृषि भूमि की गिरदावरी अपीलाण्ट के नाम से होती आ रही है। अपीलाण्ट उक्त कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष राजस्व वाद सख्या 152/2006 प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें उक्त वर्णित कृषि भूमि के सबध में खाता विभाजन का भी अनुतोष चाहा हुआ है। अपीलाण्ट उक्त शीर्षक की अपील नायब तहसीलदार (भू०अ०) डबलीराठान द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2022 को अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की जा रही है। चूंकि अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश के काश्तकारी पेशा व्यक्ति है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलाण्ट को पूर्व में नहीं थी। उक्त आदेश का ज्ञान अपीलाण्ट को रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 द्वारा अपीलाण्ट के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में हस्तक्षेप करने की धमकी देने पर गत सप्ताह हुआ है। तत्पश्चात अपीलाण्ट ने इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जिस पर अपीलाण्ट को दिनांक 17.04.2023 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई और उसके पश्चात अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर व फीस आदि का इन्तजाम कर आज अपीलाण्ट बिना किसी देरी के अविलम्ब यह अपील ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा फरमाते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद ग्रहण फरमाया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 5 से 10 के हित समान है लेकिन उनके आज उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें बतौर रेस्पोडेंट संयोजित किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इंतकाल संख्या

कार्यालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

946 दिनांक 01.06.2022 कार्यालय नायब तहसीलदार (राजस्व) डबलीराठान अपास्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं. 02 ता 04 की ओर से श्री सोम प्रकाश एड., रेस्पों. संख्या 5 ता 10 की ओर से श्री सुरेन्द्र सहारण व रेस्पो. सं. 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने उपस्थिति दी।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इंतकाल संख्या 946 दिनांक 01.06.2022 कार्यालय नायब तहसीलदार (राजस्व) डबलीराठान अपास्त किया जावे।।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 02 ता 04 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वास्तविक रूप से चक 8 एस.टी.जी बी के पत्थर नं. 80/278 मुनं 65 के किला नं. 5 व 6 कुल 0.506 है० रेस्पोडेंट सं. 2 व 4 की दादी व 3 की सास नूरभरी बेवा अब्दुल गनी के नाम से पर्चा खतौनी चक 8 एस.टी जी. भानेवाला में राष्ट्रपति भारत सरकार दर्ज थी। मु० नूरभरी द्वारा अपने जीवन काल में किला न 6 का विक्रय पत्र अपीलांट के पूर्वजों को दिनांक 08.01.1973 को विक्रय किया था। जिसका इतकाल विक्रेताओं के नाम दर्ज हो चुका है। रेस्पोडेंट सं 2 ता 4 के नाम से किला नं 5 का विरास्तन इंतकाल विधिवत रूप से जांच पड़ताल कर दर्ज किया है। जिससे उक्त अपील किसी भी प्रकार से विधिक बल नहीं रखती है व अपीलाट को उक्त अपील बतौर तृतीय पक्षकार प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है व ना ही अपीलांट प्रत्यक्ष या सारवान रूप से प्रभावित है। अपीलाट द्वारा न्यायालय को मुगालता देकर राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर उक्त अपील प्रस्तुत की है जो किसी भी आधार पर चलने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील किसी भी प्रकार से विधिक बल नहीं रखती जिससे इसी आधार पर अपील अपीलांट खारिज होने योग्य है। अपीलांट रेस्पोडेंट के साथ उक्त चक 8 एस.टी.जी के पत्थर नं. 80/278 किला नं 5 व 6 में मुस्तरका खातेदारान हैं। रेस्पोडेंटान द्वारा विधिवत रूप से खातेदारा नूरभरी के देहान्त के बाद विरास्तन इंतकाल दिनाक 01.06.2022 दर्ज करवाया है जिसका शुरू से ही अपीलांट को ज्ञान था। रेस्पोडेंट द्वारा कभी भी अपीलांट की हिस्सा अनुसार दर्ज भूमि में काश्त या अन्य कोई दखल अंदाजी नहीं की। बल्कि अपने नाम दर्ज भूमि को काश्त किया जा रहा है। अपीलाट को हस्तगत प्रकरण में दर्ज इंतकाल का ज्ञान रहा है। जिससे अपील प्रस्तुत करने में कोई देरी किसी भी तरीके से क्षमा करने योग्य नहीं है। अतः निवेदन किया कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. DNJ (SC) 2019 page 131
2. RBJ 2019 (26) Page 20
3. DNJ 2016(1) page 201

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा जारी निर्णय दिनांक 30.11.2015 विधि अनुसार है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत कर धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने से सप्ताह पूर्व ही होना बताया है। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर विचार किया गया। प्रश्नगत भूमि पूर्व में अपीलाण्ट के पूर्वजों को विक्रय की हुई थी इसलिए उक्त विवादित भूमि में

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपीलांट्स को प्रभावित पक्षकार होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट अंतर्गत धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उदघृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. विरास्तन नामांतकरण के आदेश से पूर्व रेस्पोंडेंट संख्या 02 व 04 की दादी नूरभरी पत्नी अब्दुल गनी द्वारा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.05.1966 अनुसार चक 8 एस.टी.जी. पत्थर नम्बर 80/278 मु. न. 65 किला नं 5 व 6 कुल 0.506 है0 में से किला नम्बर 5 को अपीलाण्ट के पूर्वजों को बैय किया गया।
2. रेस्पोंडेंट संख्या 02 व 04 की दादी नूरभरी पत्नी अब्दुल गनी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि चक 8 एस.टी.जी. पत्थर नम्बर 80/278 मु. न. 65 के किला नम्बर 6 रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 08.01.1973 द्वारा अपीलांट के पूर्वजों को बैय कर दी। उक्त तथ्य अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया।
3. प्रश्नगत नामांतरकरण आदेश दिनांक 01.06.2022 से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व 04 की दादी द्वारा उक्त भूमि अपीलांट के पूर्वजों को विक्रय करने पर भूमि के समस्त अधिकार क्रेता को प्रदान किये जाने थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि नामांतरकरण आदेश से पूर्व तहसीलदार द्वारा गहन जांच नहीं की गई।

अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार (भू.अ.) डबलीराठान द्वारा जारी नामांतरकरण संख्या 946 दिनांक 01.06.2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार (भू.अ.) डबलीराठान को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़